

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधि सूचना ॥

पटना—15, दिनांक: 06 नवम्बर, 2018

संख्या: 1/अ0प्र0—1001/2018—सा0प्र0—14662/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक—19.11.2018 से 14.12.2018 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—III में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्रस्तुपेण की जाती है:—

क्रम सं.	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है	प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ —02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1	2	3
1.	श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0 (2007), जिला पदाधिकारी, सुपौल।	जिला के अपर समाहता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2.	श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2007), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना।	स्वास्थ्य विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
3.	श्री केशव रंजन प्रसाद, भा0प्र0से0 (2006), सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।	बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
4.	श्री हरेन्द्र नाथ दूबे, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।	पंचायती राज विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
5.	श्रीमती मधुरानी ठाकुर, भा0प्र0से0 (2007), संयुक्त सचिव, पश्च एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पश्च एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
6.	श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर।	जिला के अपर समाहता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत किया जायेगा।
7.	श्री कौशल किशोर, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।	स्वास्थ्य विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
8.	श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
9.	श्री हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

६.११.१५, ४
 (कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1/अ0प्र0—1001/2018—सा0प्र0— 14662/पटना—15, दिनांक: 06 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/संबंधित विभाग /प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा/ प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत

प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ संबंधित पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, सुपौल/जिला पदाधिकारी,
वैशाली, हाजीपुर/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव,
बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव,
बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,
पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध
कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा--१,४,१२ एवं १४) को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

३७।
६.११.१८
सरकार के अवर सचिव ।